

कार्यालय:- निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस् राँची।		
अल्पकालीन निविदा सूचना		
सिदो-कान्हु पार्क, राँची तथा नक्षत्र वन, राँची में कैंन्टीन संचालन के लिए दो वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2021-22) तक संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान से मुहर बंद लिफाफा (तकनीकी एवं वित्तीय बीड) में निविदा आमंत्रित की जाती है।		
1	निविदा सूचना संख्या	
2	निविदा सामग्री की उपलब्धता	निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से निविदा खोलने की तिथि दिनांक 13.03.2020 के दोपहर 12:00 बजे तक (निविदा शर्त के कंडिका 04 में वर्णित शर्त के आधार पर) प्राप्त की जा सकती है।
3	निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 13.03.2020 के अपराह्न 1.30 बजे तक निविदा समर्पित की जा सकती है।
4	निविदा समर्पित करने का स्थान	निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस्, वन भवन डोरण्डा राँची में निर्धारित समय के अन्दर।
5	निविदा खोलने की तिथि क. तकनीकी बीड प्रपत्र "क" संलग्न ख. वित्तीय बीड प्रपत्र "ख" संलग्न }	दिनांक 13.03.2020 के अपराह्न 3.00 बजे
6	निविदा खोलने का स्थान	निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस्, वन भवन, डोरण्डा, राँची के कार्यालय कक्ष में।
7	अग्रधन की राशि।	अग्रधन की राशि (निविदा शर्त के कंडिका 05 में वर्णित शर्त के आधार पर): Rs. 2000/-

निविदादाता निविदा सामग्री एवं निविदा फार्म की प्राप्ति निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस्, वन भवन, डोरण्डा राँची के कार्यालय से उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय वेबसाइट : www.forest.jharkhand.gov.in से भी पूर्ण जानकारी हेतु डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति/निविदादाता अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं।


 18/02/2020
 निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी
 पदाधिकारी, झारपार्कस् राँची।

कार्यालय – निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस्, झारखण्ड,
राँची।

निविदा सूचना संख्या –

कैन्टिन संविदा पर चलाने हेतु निविदा शर्त

संविदा अवधि : दो वर्ष

1. झारपार्कस् के राँची स्थित सिदो कान्हु पार्क एवं नक्षत्र वन में कैन्टिन संविदा पर चलाने हेतु निविदा शर्त वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक की अवधि में संविदा पर कैन्टिन चलाने हेतु विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदा निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस्, राँची के पदनाम से आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा प्रपत्र (निविदा शर्तों सहित) झारपार्कस्, वन भवन, डोरण्डा, राँची स्थित कार्यालय से कार्यालय अवधि के दौरान विहित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक झारपार्कस्, राँची के कार्यालय में रखे गए निविदा पेटी में निविदा डालने के लिए स्वतंत्र होंगे। निविदादाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि निविदा की तकनीकी प्रयत्न/बोली एवं वित्तीय प्रयत्न/बोली अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में डालें जिसके आवरण पर “तकनीकी प्रयत्न/बोली-कैन्टिन संविदा पर चलाने हेतु निविदा” एवं “वित्तीय प्रयत्न/बोली-कैन्टिन संविदा पर चलाने हेतु निविदा” अंकित हो।
3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएं यथा निर्दिष्ट तिथि/समय पर डोरण्डा स्थित वन भवन परिसर में खोली जाएंगी जिस दौरान निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उचित प्राधिकार-पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं। यदि कोई निविदादाता अथवा उनका प्रतिनिधि निविदा खोलने के दौरान उपस्थित नहीं रहता है तो इसका प्रभाव निविदा प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा तथा निविदा मान्य होगा।
4. निविदादाता अपनी निविदा के साथ कैन्टिन हेतु सत्यंकार राशि (EMD) के रूप में कुल ₹0 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) का बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस्, राँची के पक्ष में निर्गत तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय हो अथवा स्वयं के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जो निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस्, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (Pledged) हो, निविदा प्रपत्र के तकनीकी प्रयत्न/बोली के साथ संलग्न करना होगा।

5. निविदादाता निर्धारित प्रपत्र में कैंटिन को चलाने हेतु कुल मासिक शुल्क साफ-साफ अंक एवं शब्द में अंकित करेंगे। अर्पित मासिक शुल्क दो वर्ष के लिए अंकित किया जायगा। यह अर्पण वितीय प्रयत्न/बोली के रूप में किया जायेगा।
6. निविदा प्रपत्र में निविदादाता अनिवार्य रूप से प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं।
7. सशर्त एवं त्रुटिपूर्ण निविदा अथवा बिना सत्यंकार राशि एवं निविदा प्रपत्र क्रय रसीद/बैंक ड्राफ्ट के समर्पित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वैसी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
8. सफल निविदादाता को निविदा की स्वीकृति के संसूचन की तिथि से दस दिनों के भीतर तीन वर्ष की संविदा अवधि के निविदा राशि का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) जमानत राशि विहित रूप में जमा करते हुए संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा। जमानत की राशि बैंक द्वारा निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस, राँची के पक्ष में निर्गत बैंक गारंटी अथवा निविदादाता के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जो निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (Pledged) हो, के रूप में जमा करना होगा।
9. सफल निविदादाताओं द्वारा जमा सत्यंकार राशि यदि विहित रूप में हो तो उसे निविदादाता के लिखित अनुरोध पर जमानत की राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। शेष असफल निविदादाताओं की सत्यंकार राशि निविदाओं पर अन्तिम निर्णय के पश्चात वापस कर दी जाएगी।
10. यदि सफल निविदादाता जमानत की राशि निर्धारित समय पर जमा करने एवं संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई सत्यंकार राशि राज्यसात कर ली जायेगी और द्वितीय निविदादाता को अवसर दिया जायेगा जिस पर प्रथम सफल निविदादाता को किसी प्रकार की आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं रहेगा।
11. सफल निविदा (कैंटिन संचालक) को पूरे संविदा अवधि की निविदा राशि (शुल्क) मासिक किस्त के आधार पर प्रतिमाह जमा करनी होगी। प्रथम किस्त कार्य प्रारंभ करने का आदेश एवं अन्य अगले किस्त संबंधित महीनों के पूर्व के महीने के (अंतिम सप्ताह/महीने के समाप्ति के पूर्व) प्राप्त करने के पूर्व एवं अन्य किस्त संबंध महीने की समाप्ति के पूर्व जमा कर देना होगा। ऐसा नहीं करना संविदा के शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा एवं ऐसी स्थिति में संविदा को रद्द करने तथा जमानत की राशि को निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस, राँची राज्यसात कर सकेंगे।

निविदादाता के लिए निर्देश एवं कार्य क्षेत्र

12. संवेदक को प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था रखनी होगी। आवश्यकतानुसार छुट्टियों के दिन एवं विभागीय बैठकों के समय निदेशानुसार अल्पाहार उपलब्ध करानी होगी।
13. संवेदक (कैंटिन संचालन जो इसी अर्थ में नीचे भी उद्धृत है) को अल्पाहार/भोजन मानक मापदण्ड के पात्रों में उपलब्ध कराना होगा।
14. संवेदक को सभी अल्पाहार नगद भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराना होगा।
15. संवेदक को निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस, राँची के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
16. कैंटिन में कार्यरत कर्मियों को विभागीय परिसर में रात्रि में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
17. संवेदक को खाद्य पदार्थ को ठंडा या गर्म करने के लिए विद्युत उपकरण, फीज आदि एवं LPG का उपयोग स्वयं करना होगा। किसी भी परिस्थिति में किरासन तेल, लकड़ी या कोई अन्य जलावन, जो धुआँ या दुर्गंध देता हो, उसका उपयोग नहीं किया जायेगा।
18. संवेदक कैंटिन चलाने के दौरान अपने खाद्य सामग्रियों के भंडारण, सुरक्षा तथा कैंटीन परिसर/आसपास सफाई का समुचित प्रबंध स्वयं सुनिश्चित करेंगे। गंदगी फैलाना सर्वथा वर्जित होगा।
19. संवेदक को आवश्यकतानुसार Fly Catcher/U.V Light का प्रयोग मक्खियों/कीटों को भगाने/नियंत्रण के लिए करना होगा।
20. निविदा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् संवेदक परिसर को उसी रूप में निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस, राँची को लौटाना होगा। जिस रूप में उन्हें उपलब्ध कराया गया हो। शर्त नहीं मानने के स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई सत्यंकार राशि राज्यसात कर ली जायेगी।
21. कैंटिन परिसर में कोई अन्य कार्य नहीं किया जायगा एवं उसके रूप में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही किसी अन्य को sublet करने दिया जाएगा।
22. कार्यालय परिसर में स्थित निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस, राँची में किसी प्रकार का तेज music चलाने का अधिकार नहीं होगा।
23. कैंटिन में अच्छे किस्म की खाद्य सामग्रियों को बिक्री हेतु रखनी होगी। यदि घटिया किस्म के खाद्य सामग्रियों की बिक्री की जाती है अथवा इसकी शिकायत विभागीय कर्मचारी द्वारा की

जाती है, तो समिति को अधिकार होगा कि वे संचालक पर अर्थदण्ड लगा सकें या संविदा रद्द कर सकें।

24. कैटिन में शराब तथा नशीले पेय/अन्य सामग्रियों की बिक्री एवं उनका सेवन पूर्णतः वर्जित होगा।
25. कैटिन में पान, पान मसाला, गुटका, बीडी-सिगरेट, तम्बाकू, प्लास्टिक की वस्तुओं आदि सहित सभी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री वर्जित होगी।
26. कैटिन में बिक्री हेतु रखी गयी खाद्य सामग्रियों का बिक्री दर संचालक द्वारा कैटिन के लिये गठित विभागीय कमिटी एवं संचालक की सहमति से तय की जाएगी।
27. खाद्य सामग्री की आपूर्ति की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, विशेष कर Cooking Oil, Ghee, मसाले का स्तर प्रमाणिक फर्म/कम्पनी का होना चाहिए।
28. कैटिन गृह संचालक को अपना कार्य क्षेत्र साफ एवं स्वच्छ रखना होगा। कैटिन गृह में किसी प्रकार की बिक्री, पोलीथीन पैक में नहीं किया जायेगा। कैटिन के दीवारों पर दर/तालिका के अतिरिक्त किसी प्रकार का लिखाई-पोताई नहीं करना होगा। कैटिन संचालन में उत्पन्न सभी प्रकार के कचड़ा का संग्रहण पार्को के बाहर उसका निष्पादन करने की व्यवस्था संचालक स्वयं करेंगे। यदि दीवार पर लिखाई-पोताई पायी जाती है अथवा कचड़ा बिखरा हुआ पाया जाता है तो संचालक अर्थदण्ड के भागीदार होंगे। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा जो संचालक को मान्य होगा।
29. विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्कर, विद्युत उपकरण तथा अन्य सामग्रियों के टूट-फूट की पूरी जिम्मेवारी संचालक पर होगी एवं वैसी स्थिति में सामग्रियों/उपकरणादि की मरम्मत अथवा नई सामग्री खरीदने की जिम्मेदारी संचालक पर होगी।
30. कैटिन गृह चलाने के कार्य पर लागू होने वाले सभी अधिनियम/नियम के पालन हेतु संचालक स्वयं जिम्मेवार होंगे। कैटिन गृह में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी इत्यादि का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा अधिसूचित दर पर ही संचालक को करनी होगी। यदि भुगतान में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी संचालक पर होगी। बाल श्रम का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
31. कैटिन गृह में वेटर (Waiter) के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का स्वच्छ परिधान में रहना अनिवार्य होगा।
32. विद्युत अथवा जलापूर्ति बाधित होने पर संचालक को वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं करनी होगी। कैटिन गृह में उपयोग किये गये विद्युत खर्च का वहन संचालक को करना होगा। इस हेतु

संचालक को अपने खर्च पर एक सबमीटर लगाना होगा और सबमीटर में दशार्थी गयी यूनिट की राशि का भुगतान **झारपार्कस् कार्यालय** को किया जायेगा। (अगर संचालक को डी.जी. सेट कनेक्शन की आवश्यकता हो तो संबंधित सहायक निदेशक, **झारपार्कस्** को आवेदन देकर कनेक्शन ले सकते हैं (अगर **D.G. सेट उपलब्ध हो तो**) और इसके लिए सहायक निदेशक द्वारा निर्धारित दर पर उसका भुगतान करना होगा।

33. संचालक द्वारा विद्युत हीटर का उपयोग नहीं किया जायेगा।
34. निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस्, राँची अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में कैंटीन गृह के संबंध में निर्देश जारी किया जाता है तो कैंटीन गृह संचालक द्वारा उसका अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
35. निविदा की ऐसी शर्तें, जिनके उल्लंघन के लिए दंडात्मक/निवारक प्रावधान अंकित नहीं हैं, का कैंटीन गृह संचालक (सफल निविदादाता) द्वारा उल्लंघन किए जाने पर समिति को अधिकार होगा कि वे स्वविवेकानुसार दोषी संचालक पर यथोचित अर्थदण्ड लगाएँ अथवा जमानत की राशि राज्यसात करते हुए निविदा रद्द कर दें।
36. निविदा अवधि (तीन वर्षों के लिये) के अंदर अगर सफल निविदादाता द्वारा स्वयं के कारणों से कैंटीन का संचालन बन्द कर दिया जाता है, तब वेसी परिस्थिति में निविदादाता को निविदा अवधि के बचे हुये समय के लिये निर्धारित मासिक शुल्क झारपार्कस् के पक्ष में अदा या जाना बाध्यकारी होगा। इसे जमा नहीं करने पर इसकी सूद सहित वसूली हेतु यथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
37. विशेष परिस्थिति में झारपार्कस्, **झारपार्कस् स्थित विभिन्न पार्क** अथवा वन भवन के किसी भी कार्यालय में किसी तरह की बैठक, सरकारी कार्यक्रमों इत्यादि के लिये सफल निविदादाता को पूर्व में सूचना दिये जाने पर निर्देशानुसार आवश्यक जलपान/भोजन से संबंधित पैकटों आदि को भी उपलब्ध कराना होगा। इसका भुगतान करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय की होगी।
38. झारपार्कस्, **झारपार्कस् स्थित विभिन्न पार्क** अथवा वन भवन, डोरण्डा में कार्यरत किसी भी स्थाई/अस्थायी कर्मचारी अथवा दैनिक मजदूर को निविदा समर्पित करने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी कर्मचारी का कैंटीन के संचालन/निविदा में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होने के प्रमाण पाये जायेंगे तो दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारी को बिना कोई नोटिस दिये कार्य से हटा दिया जायेगा एवं स्थायी कर्मचारी के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

39. यदि आवश्यक हो तो निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा झारपार्कस, राँची के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यावधि के दौरान सम्पर्क स्थापित कर निविदा के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा शंका निवारण किया जा सकता है।
40. समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
41. निविदा अवधि न्यूनतम दो वर्ष के लिये मान्य होगा। इससे कम अवधि के लिये प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
42. कैंटिन परिसर में Cooking, ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था तथा सभी साजो-सामान संचालक के द्वारा स्वयं की जायेगी, जो एक साफ, सुथरा सुव्यवस्थित कैंटिन के रूप में दिखना चाहिए।
43. असफल निविदादाता की EMD राशि निविदा पर अंतिम निर्णय के 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जायेगी।
44. निविदादाता को एक घोषणा पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसे असत्य पाये जाने की स्थिति में उसके विरुद्ध यथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
45. जमानत राशि निविदा अवधि की समाप्ति के एक माह से तीन माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी, यदि बीच में उसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्यसात नहीं कर लिया गया हो।


निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,
झारपार्कस, राँची

निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारपार्कस, राँची

राँची स्थित सिदो कान्हु पार्क एवं नक्षत्र वन में
कैन्टिन संविदा पर चलाने हेतु निविदा पत्र -

संविदा अवधि : 2020-21 से 2021-22

मूल्य भुगतान का मनी रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

कार्यालय उपयोग हेतु

निविदा प्रपत्र सं० :

मनी रसीद सं०/तिथि :

हस्ताक्षर

सेवा में,

निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,
झारपार्कस, झारखण्ड, राँची।

विषय : वित्तीय प्रयत्न/बोली।

महाशय,

राँची स्थित सिदो कान्हु पार्क एवं नक्षत्र वन में कैन्टिन को वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक संविदा पर चलाने के लिए निविदा समर्पित कर रहा हूँ। मैंने निविदा शर्तों को पढ़ा एवं समझा है तथा सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ। मेरे विरुद्ध आयकर विभाग अथवा केन्द्र/राज्य सरकार का कोई बकाया नहीं है। साथ ही मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

1. निविदादाता का नाम :
2. निविदादाता के पिता/पति का नाम
3. पता : (क) वर्तमान पता :
(ख) स्थाई पता :
4. निविदादाता के पत्राचार का पता :
5. (i) फोन संख्या :
(ii) ई-मेल :
6. निविदादाता द्वारा कैन्टिन के लिए साज-सज्जा, साफ-सफाई एवं अनुकूल वातावरण रखने हेतु किये जाने वाले प्रावधानों का संक्षिप्त व्योरा :
7. निविदादाता द्वारा कैन्टिन में बनाये जाने वाले शाकाहारी व्यंजनों की सूची।

8. निविदादाता द्वारा जलपान गृह के कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव (इसके साक्ष्य में अभिलेख के रूप में जिस संस्था के अन्तर्गत जलपान गृह चला रहे हो, उनका प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

9. अर्पित दर :

क्र० सं०	अवधि	निविदादाता द्वारा ऑफर किया गया मासिक शुल्क		अग्रधन का व्योरा
		अंको में (रु०)	शब्दों में (रु०)	
1	दो वर्ष			

1. फर्म निबंधन प्रमाण पत्र/पेन कार्ड/यदि निविदादाता व्यक्ति के रूप में निविदा समर्पित करते हैं तो स्वयं के नाम का अंचल सम्पत्ति का रजिस्ट्री कागजात।
2. जी०एस०टी० (GST) में निबंधन का प्रमाण पत्र।
3. सरकारी कैंटिन से संबंधित सभी सरकारी टैक्सों को देय संचालक की जिम्मेवारी होगी।

विश्वासभाजन

निविदादाता का हस्ताक्षर